



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
(संसद के अधिनियम द्वारा निर्मित सांविधिक प्राधिकरण)
Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority
(A Statutory Authority Created by an Act of Parliament)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
एन ए एस सी काम्प्लेक्स, डी पी एस मार्ग, निकट टोडापुर गांव, नई दिल्ली-110012
NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village, New Delhi 110012
Tel: 011 - 25843388, Fax: 011-25840478, E-mail:- la-ppvfra@nic.in

दिनांक: 17.08.2022

सार्वजनिक सूचना

(2022 का 07)

पीपीवी और एफआर नियम , 2003 के नियम 29(1)(ए) के तहत पीपीवीएफआर प्राधिकरण ने 29.06.2022 को आयोजित 33वीं बैठक में निम्नलिखित फसल प्रजातियों के डीयूएस परीक्षण शुल्क निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	पंजीकरण के लिए उपयुक्त फसल प्रजातियां	डीयूएस परीक्षण शुल्क	ऑन-साइट परीक्षण शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कुल्थीण दाल [मैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम (लैम.) वर्डक.]	रु. 20,000/-	उपलब्ध नहीं
2.	जरबेरा (जरबेरा जेम्सोनी एडलेम एक्स7 हूकर एफ.)	रु. 50,000/-	उपलब्ध नहीं
3.	काँफी (काँफी अरेबिका एल. और काँफिया कैनेफोरा पियरे एक्सी ए. फ्रोहनेर)	रु. 30,000/-	उपलब्ध नहीं
4.	फ़लू-क्योर वर्जीनिया (एफसीवाई) और बीड़ी तम्बाकू (निकोटियाना टैबैकम (एल.))	रु. 30,000/-	उपलब्ध नहीं
5.	मोठ [विग्ना एकोनिटिफोलिया (जैक.) मारेचल.]	रु. 20,000/-	उपलब्ध नहीं
6.	ग्वार फली (सायमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा एल.तौब.)	रु. 30,000/-	उपलब्ध नहीं

-हस्ताक्षरित-
(डी.के. अग्रवाल)
महापंजीकार